

कॉरपोरेट गवर्नेंस - आचार संहिताI. संहिता की आवश्यकता एवं उद्देश्य

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (एलओडीआर) का विनियम 17(5) अपेक्षा करता है कि निदेशक मंडल द्वारा सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबन्धन के सभी सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाई जाएगी। एलओडीआर का विनियम 26(3) अपेक्षा करता है कि निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबन्धन की आचार संहिता का निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिक के सभी सदस्य वार्षिक आधार पर अनुपालन पुष्ट करेंगे। वरिष्ठ प्रबन्धन का तात्पर्य होगा निदेशक मंडल को छोड़कर सूचीबद्ध इकाई के वे अधिकारी / कार्मिक जो उसकी कोर टीम के सदस्य हैं और सामान्यतः इसमें कार्यपालक निदेशक से नीचे के प्रबन्धन के सभी सदस्य होंगे जिसमें कार्यात्मक प्रमुख भी शामिल हैं (यानि महा प्रबन्धकगण)।

II. बैंक की भरोसा प्रणाली

यह आचार संहिता उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करने की कोशिश करती है जिनके आधार पर बैंक को अपने बहुस्तरीय शेयरधारकों, सरकार और विनियामक एजेंसियों, मीडिया और दूसरा कोई जिससे वो जुड़ा है, उसके साथ अपना दैनिक कारोबार और परिचालन करना चाहिए। संहिता बैंक को एक न्यासी और लोगों के पैसे का अभिरक्षक मानता है और उसे अपने न्यासी दायित्वों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लोगों का भरोसा और आत्मविश्वास अबाध रूप से बनाए रखना होगा।

बैंक जानता है कि उसके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक लेन-देन की सत्यनिष्ठा बनाए रखना ज़रूरी है और मानता है कि उसके आंतरिक कामकाज में निष्ठा और ईमानदारी का फैसला उसके बाहरी व्यवहार से होगा। बैंक को अपने सभी कार्यों में उस देश के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा जहां वह परिचालित है। अपने ग्राहकों और लोगों के बीच अपनी साख को लेकर बैंक भलिभांति जागरूक है और अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए उसे बरकरार रखने और उसमें सुधार लाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बैंक को ऐसी नीतियां बनाते रहना चाहिए जो ग्राहकोन्मुख हों और वित्तीय विवेक को प्रोत्साहित करती हों।

III. संहिता का दर्शन

संहिता निर्धारित और आशा करती है-

- क) निजी और व्यावसायिक सम्बन्धों में वास्तविक या प्रत्यक्ष हितों के टकराव के मामले में समुचित एवं नैतिक प्रक्रियाओं समेत ईमानदार और नैतिक संव्यवहार के उच्चतम मानकों का पालन किया जाए।
- ख) बैंक द्वारा सरकार और विनियामक एजेंसियों को प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक रिपोर्टों में पूर्ण, स्पष्ट, सटीक, बोधगम्य, समयानुसार और अर्थपूर्ण प्रकटीकरण।
- ग) प्रयोज्य कानूनों, नियमों व विनियमों का अनुपालन।
- घ) बैंक की आस्तियों और संसाधनों का दुरुपयोग होने या उसे गलत प्रयोग में लाने से रोकना।
- ङ) बैंक के भीतर और बाहर उच्च स्तर की गोपनीयता और निष्कपट व्यवहार।

क) आचरण के सामान्य मानक

- बैंक सभी निदेशकों और वरिष्ठप्रबन्धन के सदस्यों से यह आशा करता है कि वे ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के हित, कल्याण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सही निर्णय लेंगे और एक सहयोगी, प्रभावी, सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण और उत्पादक कामकाज का माहौल और कारोबार संगठन बनाए रखेंगे। अपने पद से जुड़े दायित्वों का निर्वाह करते हुए वरिष्ठप्रबन्धन के निदेशकों और सदस्यों को आवश्यक रूप से ड्यू डिलिजेंस और ईमानदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। उनसे आशा की जाती है कि वे उतनी ही अत्यधिक सावधानी और विवेक के साथ काम करेंगे जितनी कि किसी साधारण व्यक्ति से उसके अपने कारोबार में उम्मीद की जाती है। इन मानकों को बैंक के परिसर, बाहरी स्थानों जहां कारोबार किया जा रहा हो, भले ही वो भारत में हो या विदेश में, बैंक-प्रायोजित कारोबार एवं सामाजिक मौकों पर या किसी अन्य स्थान पर जहां वे बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे हों अमल में लाया जाना चाहिए।

CORPORATE GOVERNANCE - CODE OF CONDUCT**I. Need and Objective of the Code**

Regulation 17(5) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR) requires the Board of Directors to lay down a Code of Conduct for all members of Board of Directors and senior management of the listed entity. Regulation 26(3) of the LODR requires all members of the board of directors and senior management personnel shall affirm compliance with the code of conduct of board of directors and senior management on an annual basis. Senior management shall mean officers/personnel of the listed entity who are members of its core management team excluding board of directors and normally this shall comprise all members of management one level below the executive directors, including all functional heads. (viz. General Managers).

II. Bank's belief system

This Code of Conduct attempts to set forth the guiding principles on which the Bank shall operate and conduct its daily business with its multitudinous stakeholders, Government and regulatory agencies, media, and anyone else with whom it is connected. It recognises that the Bank is a trustee and custodian of public money and in order to fulfill its fiduciary obligations and responsibilities, it has to maintain and continue to enjoy the trust and confidence of public at large.

The Bank acknowledges the need to uphold the integrity of every transaction it enters into and believes that honesty and integrity in its internal conduct would be judged by its external behaviour. The Bank shall be committed in all its actions to the interest of the countries in which it operates. The Bank is conscious of the reputation it carries amongst its customers and public at large and shall endeavour to do all it can to sustain and improve upon the same in its discharge of obligations. The Bank shall continue to initiate policies, which are customer centric and which promote financial prudence.

III. Philosophy Of The Code

The Code envisages and expects - a. Adherence to the highest standards of honest and ethical conduct, including proper and ethical procedures in dealing with actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships.

b. Full, fair, accurate, sensible, timely and meaningful disclosures in the periodic reports required to be filed by the Bank with government and regulatory agencies.

c. Compliance with applicable laws, rules and regulations.

d. To address misuse or misapplication of the Bank's assets and resources.

e. The highest level of confidentiality and fair dealing within and outside the bank.

A. General Standards of conduct

- The Bank expects all Directors and members of the Senior Management to exercise good judgement, to ensure the interests, safety and welfare of customers, employees, and other stakeholders and to maintain a cooperative, efficient, positive, harmonious and productive work environment and business organization. The Directors and members of the Senior Management while discharging duties of their office must act honestly and with due diligence. They are expected to act with that amount of utmost care and prudence, which an ordinary person is expected to take in his/her own business. These standards need to be applied while working in the premises of the Bank, at offsite locations where the business is being conducted whether in India or abroad, at Bank-sponsored business and social events, or at any other place where they act as representatives of the Bank.

ख) हितों का टकराव

- "हितों का टकराव" तब उत्पन्न होता है जब निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबन्धन के किसी सदस्य का निजी हित बैंक के हित में दखल देता है या किसी प्रकार से दखल देता दिखाई पड़ता है। निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबन्धन के प्रत्येक सदस्य की बैंक, उसके शेयरधारकों और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है। यद्यपि यह दायित्व उन्हें निजी लेन-देन और निवेश करने से नहीं रोकता है लेकिन यह अपेक्षा ज़रूर करता है कि वे ऐसी स्थितियों से बचेंगे जहां हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है या उसकी संभावना बन सकती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दायित्वों का निष्पादन इस प्रकार करेंगे कि वे बैंक के हितों से नहीं टकराएं जैसे :
- रोज़गार / बाहरी रोज़गार - वरिष्ठ प्रबन्धन के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना पूरा ध्यान बैंक के कारोबारी हित में लगाएं। उन्हें ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने की इजाज़त नहीं है जो उनके कार्य-निष्पादन या बैंक के प्रति दायित्व में बाधा बनती हो या अन्य प्रकार से बैंक के हित से टकराती हो या उसके प्रतिकूल हो।
- कारोबार हित- निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबन्धन का कोई भी सदस्य बैंक के ग्राहक, आपूर्तिकर्ता या प्रतिस्पर्धी द्वारा जारी प्रतिभूति में निवेश करने का इच्छुक है तब उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा किए जा रहे निवेश की वजह से वे बैंक के प्रति जिम्मेदारियों से समझौता नहीं कर रहे हैं। हितों के टकराव का पता करने के लिए निवेश का आकार और उसकी प्रकृति; बैंक के निर्णयों को प्रभावित करने की उसकी क्षमता; बैंक या किसी अन्य ईकाई की गोपनीय सूचनाओं तक उसकी पहुंच और बैंक एवं ग्राहक, आपूर्तिकर्ता या प्रतिस्पर्धी के बीच सम्बन्ध की प्रकृति समेत कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें बैंक को ऐसे किसी भी हित के बारे में बताना चाहिए जो बैंक के कारोबारी हित से टकरा सकते हैं।

सम्बन्धित पक्ष - सामान्य नियम के तौर पर, निदेशकों और वरिष्ठ प्रबन्धन के सदस्यों को किसी रिश्तेदार या अन्य किसी व्यक्ति या किसी फर्म, कंपनी या संघ के साथ जिसमें रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण भूमिका में हो, बैंक का कारोबार करने से बचना चाहिए। रिश्तेदारों में शामिल होंगे :

- पिता (सौतेले पिता भी)
- माता (सौतेली माता भी)
- पुत्र (सौतेला पुत्र समेत)
- पुत्र की पत्नी
- पुत्री
- पुत्री का पति
- भाई (सौतेला भाई समेत)
- बहन (सौतेली बहन समेत)
- यदि ऐसाकिसी सम्बन्धित पार्टी लेन-देन से बचना संभव नहीं हो तो उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष सम्बन्धित पार्टी लेन-देन की प्रकृति को पूरी तरह उजागर कर देना चाहिए। सम्बन्धित पार्टी से किसी भी प्रकार का लेन-देन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उससे किसी प्रकार की प्राथमिकता का व्यवहार न किया जाए।
- किसी अन्य लेन-देन या परिस्थिति की वजह से उपजने वाले हितों के टकराव के मामले में, उपयुक्त प्राधिकारी को विधिवत सोच-विचार के बाद उससे होने वाले प्रभाव पर निर्णय लेना चाहिए।

ग. लागू कानून

बैंक के निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबन्धन को लागूविधियों, विनियमों, नियमों एवं विनियामक आदेशों का अनुपालन करना चाहिए। उन्हें अनजाने में किए गए अन-अनुपालन की जानकारी, यदि उसका बाद में पता लगता है तो, सम्बन्धित प्राधिकारी को देनी चाहिए।

घ. प्रकटीकरण मानक

बैंक द्वारा सरकार और विनियामक एजेंसियों को प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक रिपोर्टों में पूर्ण, स्पष्ट, सटीक, बोधगम्य, समयानुसार और अर्थपूर्ण प्रकटीकरण दिया जाना चाहिए। निदेशक मंडल, लेखापरीक्षकों और अन्य सांविधिक एजेंसियों तकसमुचित प्रकार से संगत सूचनाओं के प्रसार के लिए जो प्रायोज्य विधि, नियम और विनियामकों द्वारा अपेक्षित हों, बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धन के सदस्यों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिन्हें वे ज़रूरी समझते हों

